299

संख्या :–916 /XVII-4/2014-10(116)/2014

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 देहरादून, दिनांक 18 जुलाई, 2014

विषय : मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 23.8.2013/ 24.11.2011 के अनुपालन के अन्तर्गत निलम्बित सहायक अध्यापिकाएं श्रीमती सुधारानी और श्रीमती ममता शर्मा के जीवन निर्वहन भत्ता के अवशेष देय के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1008/स0क0/स्वै0सं0ने0जू0–वाद/2014–15 दिनांक 11.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 23.8.2013/ 24.11.2011 के अनुपालन के अन्तर्गत निलम्बित सहायक अध्यापिकाएं श्रीमती सुधारानी और श्रीमती ममता शर्मा के जीवन निर्वहन भत्ता के अवशेष देय के भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययकों में बजट प्रावधान न होने के कारण संलग्न अलोटमेन्ट आई.डी. संख्या– S140799 दिनांक 18.07.2014 ₹15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि "राज्य आकस्मिकता निधि" से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
2. आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
3. उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी प्रथम अनुपूरक मांग से करा ली जायेगी।
4. उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशो का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

8. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथमतः "8000–आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि" का विनियोजन एवं अंततः अनुदान संख्या–30 आयोजनोत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2225–01–277–91–02 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं का सुधार व विस्तार के मानक मद–43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नाम डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–03/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.07.2014 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 03/XXVII-(4)/रा.आ.नि./2014, दिनांक

प्रतिलिपि– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–916 (1)/XVII-4/2014–10(116)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
2. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–01/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Social Welfare (S045)

तंख्या - 23
ख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - S140799
आवंटन पत्र दिनांक - 18-Jul-2014

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

ा शीर्षक	2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े	01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
जेराभे	277 - शिक्षा	91 - जिला योजना
समायोजन होना	02 - पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	(अनुदान संख्या - 030)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	0	1500000	1500000
	0	**1500000**	**1500000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1500000